ालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन

फर्द अहकाम

19.12.18

पत्रावली प्रस्तुत/पीठासन अधिकारी महोदय अवकाश / दौरे पर / अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः

पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 28/2/19

को पेश हो।

19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्षगान अभिभाषक को सुना गया बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन करने पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर आदेश पारित किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

DR HND
20.5.19

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन, जिला करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बुनकर आर.ए.एस

मु0नं0 07/2016

तारीख रजू:– 20.09.2016

1 गोपाल लाल पुत्र दामोद जाति ब्राहामण निवासी बरगमा, तहसील हिण्डौन जिला करौली

– अपीलान्ट

बनाम

1 ग्राम पंचायत बरगमा, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा, तहसील हिण्डौन जिला करौली

2 तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिंटी जिला करौली

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामानतकरण संख्या 06 दिनांक 10.01.1968 सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा, पंचायत समिति हिण्डौन

उपस्थितिः– 1 श्री कर्मेद्र कुमार चतुर्वेदी वकील अपीलान्टस
2 पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांकः– 25.02.2019

वाकेयात इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने एक अपील नामानतकरण संख्या 06 निर्णय दिनांक 10.01.1968 सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा से अप्रसन्न होकर पेश कर बताया गया है कि ग्राम पंचायत बरगमा द्वारा विना जॉच किये ही नत्थू पुत्र लटूर के एक पुत्र घीस्या था जवकि नामानतकरण में नत्थू के दो पुत्र घीस्या व सरूपा दर्ज कर किये गये है। सरूपा नाम का कोई पुत्र नही है। नाही कोई बरगमा मे है। पटवारी हल्का द्वारा भी बिना जॉच बिना प्रमाण पत्र के अपने स्वयं की इच्छा से सजरा बना कर दो पुत्र घीस्या तथा सरूपा अंकित किया गया है। जो गलत व विधि विरूद्व है। नत्थू की मृत्यू के पश्चात एवं नामान्तकरण खोले जाने से पूर्व ही घीस्या की मृत्यू हो गई थी घीस्या के तीन पुत्र दामोदर ,ब्रजबल्लभ , रामेश्वर का नाम आया है। सरूपा का नाम गलत अंकित किया गया है। दामोदर की मृत्यू हो जाने पर उसके बारीसान के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज होकर काबिज एवं दखील है। सरूपा नाम का कोई नत्थू के कोई पुत्र नही होने वावत इसकी दुरूस्ती हेतु रेस्पोडेन्ट नं. 2 से कहा गया तो उन्होने मना करते हुए अपील करने का निवेदन किया गया। अंत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजीका कर रेस्पोडेन्स को जरिये नोटिस तलव किया गया जिसमे पेरोकार सरकार उपस्थित आये। ओर लिखित में जबाब रेस्पोडेन्ट की ओर से पेश किया गया है।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी दोराने बहस अपने अपील मीमो दोराते हुए निवेदन किया है कि नामानतकरण तस्दीक करते समय ग्राम पंचायत द्वारा नत्थू के दो पुत्र अंकित कर दिये गये है जबकि नत्थू के मात्र एक पुत्र घीस्या ही था सरूपा नाम का कोई पुत्र नही है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई दोराने बहस ग्राम पंचायत द्वारा जो नामानतकरण तस्दीक किया गया है सही मजमे आम मे किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा मजमेआम में जॉच कर ही निर्णय दिया गया है। जो सही है। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं नामान्तकरण संख्या 6 निर्णय दिनांक 10.01.1968 का अवलोकन करने पर

Scanned by CamScanner

ाया गया की ग्राम बरगमा में श्री नत्थू पुत्र लटूर फोत हो जाने पर पटवारी हल्का द्वारा ामान्तकरण दर्ज किया गया है उसमे मृतक नत्थू के बारिसान के तोर पर सरूपा पुत्र नत्थू हिस्सा 1/2 दामोदर प्रसाद , ब्रजबल्लभ , रामेश्वर प्रसाद पिसरान घीस्या हिस्सा 1/2 आदी र्ज किये गये है। इस नामान्तकरण को निर्णय हेतु ग्राम पंचायत बरगमा के सरपंच के कार्यालय में पेश किया गया जिसमे सरपंच ग्राम पंचायत बरगमा ने अपने नामान्तकरण की पुष्ट पर बिस्तृत निर्णय में नत्थू के दो पुत्र बताकर ही उनके बारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। जहा पर वकील अपीलान्ट का कथन है कि ग्राम बरगमा में सरूप पुत्र नत्थू नाम का कोई ब्यक्ति नही है। ना ही यह नत्थू का पुत्र है। वहा पर अपील मीमो मे भी सरूपा को कोई पक्षकार नही बनाया गया है। ना ही किसी अखवार मे साया हेतु कोई सूचना जारी की गई है एवं अन्य सहखातेदारो को भी पक्षकार नही बनाया गया है। जहा पर पेरोकार सरकार ने दोनो ही पुत्र माने गये है। इस नामान्तकरण को दर्ज करे हुए भी 50 वर्ष हो चुके है। ग्राम बरगमा मे सरूप नाम का ब्यक्ति है या नही इस वावत ग्राम पंचायत बरगमा के द्वारा जारी परिवार का सजरा दिनांक 13.06.2017 मे भी नत्थू के मरने के बाद उसके मात्र एक पुत्र घीस्या राम बताया गया है। ओर घीस्या राम के फोत हो जाने पर उसके बारिसान को अंकित किया गया है। किन्तु जो नामान्तकरण 12.01.1968 को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नामान्तकरण का निर्णय करते हुये दो पुत्र अंकित किये गये है। इस प्रकार से एक ही ग्राम पंचायत अलग–अलग बारिसान बता रहे है जो विधि विरूद्व है वकील अपीलान्ट द्वारा सन 1968 मे परिवार सम्बन्धि राशन कार्ड,ग्राम पंचायत मतदाता सूची भी पेश नही की गई है। दोनो ही बाते ग्राम पंचायत की विरोधाभाषी है। जिसकी जॉच होना भी आवश्यक है। नत्थू के असल मे बारिसान 1968 को कोन कोन थें इसकी जॉच किया जाना भी उचित प्रतित हो रहा है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण सं. 6 निर्णय दिनांक 29.12.1968 वाके ग्राम बरगमा तहसील हिण्डौन को इस निर्देश के साथ तहसीलदार हिण्डौन को रिमाण्ड किया जाता है कि ग्राम बरगमा मे नत्थू पुत्र लटूर जाति ब्राहमण निवासी बरगमा के 1968 कौन–कौन वारिस थे ग्राम पंचायत द्वारा नत्थू के दो पुत्र धीस्या व सरूपा किस आधार पर दर्ज किया गया है। सरूपा कोन था इस सम्बन्ध मे 1968 की पंचायत मतदाता सूची एवं नत्थू का परिवार राशनकार्ड तथा विवादित भूमि मे सभी सहखातेदारो को तलब करते हुये विधि अनुसार सूना जावे। सरूपा, नत्थू का पुत्र रहा है तो यह नामान्तकरण यथावत रहेगा। अन्यथा गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप जिला कलक्टर
हिण्डौन

Scanned by CamScanner